

**Section 104 : Advance ruling to be void in certain circumstances**

- (1) Where the Authority or the Appellate Authority <sup>1</sup>[or the National Appellate Authority] finds that advance ruling pronounced by it under sub-section (4) of section 98 or under sub-section (1) of section 101 <sup>2</sup>[or under section 101C] has been obtained by the applicant or the appellant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts, it may, by order, declare such ruling to be void *ab-initio* and thereupon all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never been made:

**Provided** that no order shall be passed under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or the appellant.

**Explanation**— The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub-section shall be excluded while computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74.

- (2) A copy of the order made under sub-section (1) shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer.
- 

---

1 Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

2 Inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). Effective date of amendment not yet notified.

**धारा 104 : कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना**

- (1) जहां <sup>1</sup>[प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण] यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन <sup>2</sup>[या धारा 101ग के अधीन] उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्त्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है वहां वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकेगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं गया था :

**परन्तु** यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

**स्पष्टीकरण**—धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा "अपील प्राधिकरण" के बाद अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।  
2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।